children from slavery through protection homes, education, vocational training and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

THE FARMERS (REMOVAL OF INDEBTEDNESS) BILL, 2002

SHRI SURESH PACHOURI (Madhya Pradesh): Sir. I move for leave to introduce a Bill to provide for settling farmers' loans taken from Banks and other financial institutions and to lay guidelines for regulating loans to farmers by such institutions and for matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, I introduce the Bill.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI) in the Chair]

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 2002

SHRI P. PRABHAKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI P. PRABHAKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I introduce the Bill.

THE ERADICATION OF UNEMPLOYMENT BILL, 2002

SHRI P. PRABHAKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for a scheme for eradication of unemployment from the country and matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Sir, I introduce the Bill.

THE TOURISM PROMOTION BILL, 2002

SHRI P. PRABHAKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for measures to promote tourism in the country.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Sir, I introduce the Bill.

THE DOMESTIC VIOLENCE (PREVENTION) BILL, 2001

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि घरेलू हिंसा की बढ़ती हुई समस्या के निवारण और विशेषकर ऐसी हिंसा के पीड़ितों को संरक्षण देने के लिए न्यायालयों को शक्ति प्रदान करने तथा तत्संबंधी और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, घर से लेकर बाहर तक, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त औरत के विरुद्ध हिंसा तमाम पितृ सत्तात्मक समाजों की एक ऐसी क्रूर सच्चाई है जिससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता । तथाकथित सभ्य और जनतांत्रिक माल मूल्यों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी अपने सीने पर हाथ रख कर, दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि वह औरतों को समानता के नज़रिए से देखता है या औरतों की वही इज्जत करता है, जिस इज्जत की अपेक्षा वह स्वयं अपने लिए करता है । महोदय, यही कारण है कि औरतों के विरुद्ध हिंसा सर्वव्यापक है । वह किसी स्थान विशेष, किसी देश विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी समाज विशेष तक सीमित नहीं है । यह जितनी सर्व व्यापक है उतनी ही सर्व स्वीकृत भी है और इस सर्व स्वीकार्यता के पीछे वह मूल्य व्यवस्था है जिसे हम पितृ सत्तात्मक व्यवस्था कहते हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपने उदय के साथ ही सब से पहले औरत को गुलाम बनाया और औरत की इस गुलामी के साथ ही निजी पूंजी के उदय ने आदमी को भी स्वतंत्र नहीं रखा । कहना न होगा कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था का अवसान स्त्री की गुलामी के साथ ही स्वयं पुरुष को भी परतंत्र बना गया । इस प्रकार घर में स्त्री गुलाम और पुरुष मालिक बन गया और स्वयं समाज शोषक और शोसित दो भागों में बंट गया । इस पितृसत्तात्मक समाज ने औरत के हाथ से उत्पादन के तमाम अधिकार छीनकर उसे घर की चारदीवारी में कैद कर दिया और उस से उस की तमाम सृजनात्मक क्षमता को छीनकर उसे आदमी के काम आने वाली एक भोग की वस्तु के